



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 7, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. विरोध का सामना कर रही सरकार पेट्रोल में 25% एथेनॉल के उच्च मिश्रण में देरी कर सकती है	2
2. इंदिरा पॉइंट पर प्रस्तावित बुनियादी ढांचा और संरक्षण परियोजनाएं	4
3. केंद्र सहकारी जीवन बीमा फर्म और यूटिलिटी एग्रीगेटर लॉन्च करेगा	5
4. आंतरिक दहन इंजन (ICE) की सीमाएँ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में समग्र संक्रमण	7
5. गुरुग्राम में शहरी जलभराव से निपटने के लिए इंजीनियरिंग हस्तक्षेप	9
6. सीवेज निगरानी और सघन टीकाकरण: गाजियाबाद पोलियो प्रतिक्रिया	10
7. आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण: भारत के नौसैनिक स्टील्थ बेड़े में रणनीतिक वृद्धि	12
8. तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति व्यक्ति संशोधन का विरोध किया	14
9. भारत में मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति: मौलिक बनाम वैधानिक अधिकार	16
10. वैश्विक एआई (AI) शासन में भारत की भू-राजनीतिक दुविधा और नेतृत्व की क्षमता	17
11. कमजोर मानसून का दृष्टिकोण और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके संरचनात्मक जोखिम	19
12. कानूनी प्रतिनिधित्व का बहिष्कार करने वाले बार एसोसिएशन के प्रस्तावों की वैधता	21



1. विरोध का सामना कर रही सरकार पेट्रोल में 25% एथेनॉल के उच्च मिश्रण में देरी कर सकती है

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- E25 रोलआउट में प्रस्तावित देरी:** उपभोक्ताओं के बढ़ते विरोध के बीच, भारत सरकार E25 ईंधन (75% पेट्रोल, 25% एथेनॉल) की ओर प्रस्तावित बदलाव को टाल सकती है।
- तेजी से बदलाव की चिंताएं:** घरेलू मिश्रण दर केवल तीन वर्षों में तेजी से बढ़कर 10% से 20% (E20) हो गई, जो 2030 के मूल लक्ष्य वर्ष से बहुत आगे है, जिससे उपभोक्ताओं में व्यापक चिंताएं पैदा हो गई हैं।

- **मुख्य उपभोक्ता विरोध:** जनता की चिंताएं मुख्य रूप से वाहनों के माइलेज में ध्यान देने योग्य गिरावट और उच्च एथेनॉल सांद्रता के कारण इंजन को होने वाले संभावित दीर्घकालिक नुकसान के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** हालांकि सरकार का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन आयात पर भारी वित्तीय निर्भरता को कम करने के लिए एथेनॉल का लाभ उठाना है, लेकिन वह आगे बढ़ने से पहले उपभोक्ता और तकनीकी बाधाओं को दूर करने की योजना बना रही है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP):** एक जैव-ईंधन मिश्रण जहां कच्चे तेल की खपत को कम करने के लिए पारंपरिक पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल (मुख्य रूप से गन्ना, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और कृषि अवशेषों से उत्पादित) को मिलाया जाता है।
- **E20 और E25 ईंधन:** वर्णानुक्रमिक प्रतीक जो ईंधन मिश्रण में एथेनॉल के वॉल्यूमेट्रिक (आयतन) प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E25 में 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल होता है।
- **एथेनॉल की संक्षारक प्रकृति (Corrosive Nature):** एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक (हवा से नमी सोखने वाला) होता है, जिसके कारण पानी से प्रेरित चरण पृथक्करण (phase separation), ईंधन पाइपलाइनों में जंग और पुराने आंतरिक दहन इंजनों (internal combustion engines) में गैर-संगत रबर या प्लास्टिक गास्केट को नुकसान हो सकता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018:** नोडल नीति ढांचा जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के लक्ष्य को पहले के 2030 के लक्ष्य से घटाकर E25 (एथेनॉल आपूर्ति वर्ष) 2025-26 करने के लिए 2022 में संशोधन किया गया था।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:** यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार औद्योगिक अल्कोहल पर नियामक नियंत्रण बनाए रखे, ताकि राज्यों के लिए पेय योग्य अल्कोहल राजस्व से समझौता किए बिना EBP के लिए इसके विचलन को संतुलित किया जा सके।
- **संवैधानिक जनादेश:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) के अनुरूप है।

निष्कर्ष (Conclusion)

E25 जैसे उच्च जैव-ईंधन मिश्रणों की ओर बढ़ना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो (शुद्ध-शून्य) प्रतिबद्धताओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, पर्याप्त उपभोक्ता सुरक्षा उपायों, वाहन निर्माताओं द्वारा इंजन अनुकूलन और पारदर्शी

लागत-लाभ संचार के बिना तेजी से बदलाव के लिए मजबूर करने से जनता का विरोध शुरू हो सकता है। एक कैलिब्रेटेड (नपा-तुला) दृष्टिकोण जो इंजन अनुकूलता और माइलेज की गिरावट को संबोधित करता है, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, EBP लक्ष्य, जैव-ईंधन पीढ़ियां (1G से 4G), और एथेनॉल के रासायनिक गुण।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III):** बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण (जीएचजी उत्सर्जन को कम करना), और हरित ईंधन में संक्रमण की तकनीकी चुनौतियां।

2. इंदिरा पॉइंट पर प्रस्तावित बुनियादी ढांचा और संरक्षण परियोजनाएं

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- इंदिरा पॉइंट के लिए मंजूरी मांगी गई:** प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत निदेशालय (श्री विजया पुरम) ने ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट पर संरक्षण और विकास कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मांगी है।
- प्रस्तावित बुनियादी ढांचा:** विकास योजना में एक सम्मेलन केंद्र (कन्वेंशन सेंटर), एक संग्रहालय स्थापित करना और ऐतिहासिक ग्रेट निकोबार प्रकाशस्तंभ (लाइटहाउस) की रक्षा के लिए किलेबंदी का काम करना शामिल है।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र:** प्रस्तावित निर्माण अत्यधिक संवेदनशील द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (Island Coastal Regulation Zone) श्रेणियों, विशेष रूप से ICRZ-1A और ICRZ-IVA के अंतर्गत आता है।
- ICRZ के तहत अनुमेय गतिविधियां:** सख्त ICRZ-1A वर्गीकरण के तहत, पर्यावरण-पर्यटन और आवश्यक सड़क निर्माण जैसे असाधारण, निर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर, मानक विकासात्मक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
- रणनीतिक और पर्यटन प्रोत्साहन:** यह परियोजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे, रणनीतिक उपस्थिति और पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ाने पर केंद्र सरकार के निरंतर ध्यान को उजागर करती magnetism है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- इंदिरा पॉइंट:** भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह एक प्रमुख प्रकाशस्तंभ का घर है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और रणनीतिक मील का पत्थर है।
- द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ):** विकास को प्रबंधित करने, समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने और सतत आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनियमित अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्र।
- ICRZ-1A और ICRZ-IVA:** पारिस्थितिक वर्गीकरण जहां ICRZ-1A सबसे अधिक पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे मूंगा चट्टानें और मैंग्रोव) का प्रतिनिधित्व करता है जहां विकास अत्यधिक प्रतिबंधित है,

और ICRZ-IVA निम्न ज्वार रेखा (Low Tide Line) से बारह समुद्री मील समुद्र की ओर के जल क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** वह मूलभूत कानूनी कानून जिसके तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ) सूचनाएं जारी और लागू की जाती हैं।
- द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना:** राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जनजातीय अधिकारों और नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ संतुलित करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विशिष्ट विकासात्मक दिशानिर्देश निर्दिष्ट करती है।
- संवैधानिक संरक्षण:** पांचवीं/छठी अनुसूची की भावना के तहत अनुसूचित जनजातियों (जैसे शोम्पेन और निकोबारी) के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 243G और अनुसूची 11/12 के विचार, यह सुनिश्चित करते हैं कि विकासात्मक परियोजनाएं स्वदेशी अधिकारों या महत्वपूर्ण जनजातीय क्षेत्रों का उल्लंघन न करें।



निष्कर्ष (Conclusion)

इंदिरा पॉइंट पर एक संग्रहालय और सम्मेलन केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव रणनीतिक पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राचीन समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा करने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। हालांकि ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभ की संरचनात्मक अखंडता को मजबूत करना आवश्यक है, लेकिन सख्त ICRZ-1A क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के कार्यों को निष्पादित करने के लिए कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रेट निकोबार की अनूठी जैव विविधता से कोई समझौता न हो।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भूगोल (चैनल, गलाथिया जैसे राष्ट्रीय उद्यान, स्वदेशी जनजातियां), और ICRZ वर्गीकरण जैसे पर्यावरण कानून।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III):** पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), बुनियादी ढांचे का विकास बनाम पारिस्थितिक संरक्षण की चुनौतियां, और द्वीप क्षेत्रों का रणनीतिक सुरक्षा महत्व।

3. केंद्र सहकारी जीवन बीमा फर्म और यूटिलिटी एग्रीगेटर लॉन्च करेगा

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नए सहकारी उद्यम:** केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी जीवन बीमा कंपनी और एक सहकारी-नेतृत्व वाले यूटिलिटी एग्रीगेटर को आगामी समय में लॉन्च करने की घोषणा की।

- **जमीनी स्तर पर प्रभाव का विस्तार:** आगामी यूटिलिटी एग्रीगेटर को भारत टैक्सी की तर्ज पर संरचित किया जाएगा—जो शून्य-कमीशन (ज़ीरो-कमिशन) मॉडल पर काम करने वाला भारत का पहला सहकारी-नेतृत्व वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है।
- **सफल मॉडलों का लाभ उठाना:** प्रस्तावित बीमा उद्यम जीवन बीमा क्षेत्र के भीतर सहकारी उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए इफ्को-टोकियो (IFFCO-ToKio) सामान्य बीमा मॉडल की सफलता पर आधारित है।
- **व्यापक आर्थिक योगदान:** सहकारी समितियां वर्तमान में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को संचालित करती हैं, जो कृषि ऋण का 20%, उर्वरक वितरण का 35%, चीनी उत्पादन का 21% और दूध उत्पादन का 35% हिस्सा संभालती हैं।
- **संघीय अभिसरण की पुष्टि:** सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस के अवसर पर, यह रेखांकित किया गया कि सहकारिता के राज्य का विषय होने के संबंध में शुरुआती घर्षण के बावजूद, पिछले पांच वर्षों में किसी भी राज्य ने केंद्रीय हस्तक्षेप की रिपोर्ट नहीं की है।



Centre will start cooperative life insurance firm on the lines of Bharat Taxi: Amit Shah



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सहकारी समिति (Cooperative Society):** व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- **यूटिलिटी एग्रीगेटर (Utility Aggregator):** एक केंद्रीकृत मंच जो ग्राहक प्राप्ति लागत को कम करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से कई सार्वजनिक या उपभोक्ता उपयोगिता सेवाओं (जैसे परिवहन, वितरण, या खुदरा वितरण) को एकत्रित करता है।
- **शून्य-कमीशन मॉडल (Zero-Commission Model):** एक व्यावसायिक ढांचा जहां एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं (जैसे, ड्राइवरों या किसानों) से ब्रोकरेज शुल्क नहीं लेता है, जिससे सदस्यों को परिचालन लाभ का सीधा वितरण सुनिश्चित होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **सातवीं अनुसूची (विधायी शक्तियों का वितरण):** "सहकारी समितियां" राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 32 के तहत प्रगणित एक विधायी विषय है, जबकि "बहु-राज्य सहकारी समितियां" जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती हैं।
- **97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011:** सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) (सहकारी समितियां बनाने का अधिकार), अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए DPSP), और भाग IXB (उनके निगमन, शर्तों और संचालन को नियंत्रित करने वाला) शामिल किया गया।
- **बहु-राज्य सहकारी सोसाटियां (संशोधन) अधिनियम, 2023:** चुनावी सुधार पेश किए गए, एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई, और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले निकायों में कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक मानक निर्धारित किए गए।

निष्कर्ष (Conclusion)

सहकारी क्षेत्र का जीवन बीमा और डिजिटल सेवा एकीकरण जैसे उन्नत वित्तीय क्षेत्रों में परिवर्तन, तकनीक-सक्षम ग्रामीण सशक्तिकरण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। सहकारी मॉडल की सामाजिक समानता को आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर, सरकार अंतिम मील तक वितरण को बढ़ा सकती है, लेनदेन के रिसाव (leakages) को कम कर सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि आर्थिक अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर के हितधारकों के पास रहे।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान, सातवीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय की संरचनात्मक बनावट, और बहु-राज्य सहकारी समितियों की परिचालन भूमिकाएं।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II और III):** राज्य-सूची के विषयों में शक्तियों का हस्तांतरण और संघीय चुनौतियां, संसाधनों का जुटना, कृषि विपणन, और वित्तीय समावेशन तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका।

4. आंतरिक दहन इंजन (ICE) की सीमाएँ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में समग्र संक्रमण

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ICE की तकनीकी सीमाएँ:** आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine - ICE) काफी हद तक अपनी थर्मोडायनामिक (ऊष्मागतिकी) और दक्षता की सीमाओं तक पहुँच चुके हैं, जिसमें ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा गर्मी और घर्षण के रूप में बर्बाद हो जाता है।
- EV का वास्तविक कार्बन फुटप्रिंट:** हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शहरी हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए टेलपाइप (साइलेंसर) उत्सर्जन को समाप्त करते हैं, लेकिन उनका शुद्ध पर्यावरणीय लाभ काफी हद तक बिजली ग्रिड को कार्बन-मुक्त (decarbonize) करने पर निर्भर करता है।
- रीजनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से दक्षता:** पारंपरिक वाहनों के विपरीत, जहां ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, ईवी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और इसे वापस बैटरी में भेजने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking) का उपयोग करते हैं।
- अपनाने में मुख्य चुनौतियाँ:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मुख्यधारा में लाने के मार्ग में बड़ी बाधाएँ हैं, जिनमें अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा और बैटरी जीवन-चक्र का जटिल प्रबंधन (जैसे रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान) शामिल हैं।
- एक विकल्प के रूप में हाइड्रोजन:** हाइड्रोजन ईंधन सेल (Fuel Cell) तकनीक भारी परिवहन और बड़ी बसों के लिए दीर्घकालिक रूप से आशाजनक है, लेकिन उच्च बुनियादी ढाँचे की लागत और ऊर्जा-गहन उत्पादन के कारण यह अभी भी सीमित है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- **आंतरिक दहन इंजन (ICE):** एक हीट इंजन (ऊष्मा इंजन) जहां ईंधन का दहन एक सीमित स्थान में ऑक्सीडाइज़र के साथ होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- **रीजनरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking):** एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तंत्र जो वाहन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसकी गति को धीमा करता है, जिसे बाद में भविष्य के प्रणोदन (propulsion) के लिए बैटरी में संग्रहीत किया जाता है।
- **वेल-टू-व्हील उत्सर्जन (Well-to-Wheel Emissions):** ईंधन/बिजली के शुरुआती उत्पादन से लेकर सड़क पर उसकी वास्तविक खपत तक, किसी वाहन की संपूर्ण ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक जीवन-चक्र मूल्यांकन विधि।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **फेम इंडिया योजना (FAME India Scheme):** शहरी क्षेत्रों में मांग प्रोत्साहन प्रदान करने और एक मजबूत चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए लागू किया गया (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण की नीतिगत रूपरेखा।
- **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रकाशित एक वैधानिक ढांचा, जो अपशिष्ट बैटरियों के सुरक्षित रीसाइक्लिंग और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को अनिवार्य करता है।
- **संवैधानिक निर्देश:** यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48A के अनुरूप है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आदेश देता है, और अनुच्छेद 21 के तहत, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ हवा के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण एक अपरिहार्य तकनीकी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, केवल वाहनों के प्रकार को बदलना अपने आप में पर्याप्त नहीं है; वास्तविक स्थिरता के लिए बिजली उत्पादन के स्वच्छ, नवीकरणीय स्रोतों की ओर एक साथ संक्रमण की आवश्यकता है। शून्य-उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित करना और एक चक्रीय बैटरी अर्थव्यवस्था (circular battery economy) स्थापित करना महत्वपूर्ण मील के पथर बने हुए हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** रीजनरेटिव ब्रेकिंग की कार्यप्रणाली, ईंधन सेल (fuel cells) बनाम लिथियम-आयन बैटरी, और फेम इंडिया जैसी केंद्रीय हरित गतिशीलता योजनाएं।
- **मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III):** ऊर्जा रूपांतरण की वैज्ञानिक सीमाएं, बुनियादी ढांचे का विकास, ई-कचरा प्रबंधन की चुनौतियां, और टिकाऊ परिवहन के माध्यम से भारत के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने की रणनीतियां।

5. गुरुग्राम में शहरी जलभराव से निपटने के लिए इंजीनियरिंग हस्तक्षेप

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- लक्षित जलभराव-विरोधी योजना:** गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने महत्वपूर्ण हीरो होंडा चौक-उमंग भारद्वाज चौक मुख्य गलियारे के साथ मानसून के दौरान होने वाले पुराने जलभराव को कम करने के लिए दो प्रमुख इंजीनियरिंग हस्तक्षेप लागू किए हैं।
- दोहरे इंजीनियरिंग हस्तक्षेप:** यह रणनीति मौजूदा सतह और मास्टर स्टॉर्मवॉटर (वर्षा जल) नालों के बीच सीधे क्रॉस-कनेक्शन बनाने के साथ-साथ समर्पित वॉटर शूट (सड़क की गलियाँ) के निर्माण पर निर्भर करती है।
- उच्च-यातायात आर्थिक गलियारा:** यह चौराहा एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और प्रशासनिक जीवन रेखा है, जो प्रमुख विनिर्माण इकाइयों, टेक पार्कों को जोड़ता है और NH-48 (दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे) को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है।
- बढ़ी हुई जल निकासी क्षमता:** मुख्य सड़कों से जल प्रवाह के निकास को तेज करने के लिए, अधिकारियों ने मौजूदा रुकावटों को बायपास करने और सतही बुनियादी ढांचे को सीधे मास्टर स्टॉर्मवॉटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए 600 मिमी व्यास वाले पाइपलाइन लिंक स्थापित किए।
- प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना:** जल निकासी हस्तक्षेपों को विशेष रूप से उन स्थानीय नेटवर्कों को बायपास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अवैध नागरिक ओवरलैप (अतिक्रमण) के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जहां निवासियों ने सीवेज कनेक्शन को स्टॉर्मवॉटर लाइनों में मिला दिया था।

How Gurgaon is planning to tackle its perennial waterlogging issue this monsoon



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- शहरी जलभराव (Urban Waterlogging):** स्थानीय जल निकासी नेटवर्क की अवशोषण, निकासी या मोड़ने की क्षमता से अधिक तेज गति से शहर की सतहों पर वर्षा जल का संचय, जिससे स्थानीय बाढ़ और गंभीर यातायात ठप हो जाता है।
- क्रॉस-ड्रेन कनेक्शन (Cross-Drain Connections):** अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के दौरान तत्काल ओवरफ्लो राहत मार्ग प्रदान करने के लिए सतही सड़क किनारे के नालों और भूमिगत मास्टर स्टॉर्मवॉटर चैनलों के बीच बनाए गए इंजीनियरिंग लिंक।
- वॉटर शूट / रोड गली (Water Chutes):** सड़क के किनारों पर स्थित विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंक्रीट या धातु के ढलान वाले चैनल या ग्रेट्स (जालियाँ), जिनका उद्देश्य सतह के बहते पानी को तेजी से पकड़ना और उसे प्राथमिक जल निकासी नेटवर्क में नीचे भेजना है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017:** राज्य का वैधानिक ढांचा जो GMDA को महानगरीय क्षेत्र के भीतर मुख्य शहरी बुनियादी ढांचे, मास्टर जल निकासी और समन्वित पारगमन प्रणालियों की योजना बनाने, निष्पादित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** सतही जल प्रवाह प्रबंधन, मिश्रित तरल अपशिष्ट संदूषण (contamination) को रोकने और प्राकृतिक स्थानीय जल विज्ञान प्रवाह को बनाए रखने से संबंधित वैधानिक नगरपालिका जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है।
- **संवैधानिक जनादेश:** 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत, शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता मुख्य कार्य हैं जो बारहवीं अनुसूची (प्रविष्टि 1, 5, और 6) के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और महानगरीय नियोजन अधिकारियों को सौंपे गए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

गुरुग्राम के इंजीनियरिंग हस्तक्षेप बार-बार होने वाली शहरी बाढ़ का मुकाबला करने के लिए स्थानीयकृत संरचनात्मक समाधानों की ओर एक सक्रिय बदलाव को उजागर करते हैं। हालांकि, पाइपलाइनों और शूट जैसे अल्पकालिक इंजीनियरिंग समाधानों को दीर्घकालिक प्रणालीगत उपचारों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। स्टॉर्मवॉटर लाइनों में अवैध सीवर कनेक्शन को रोकना, प्राकृतिक प्रवाह पथों पर प्रणालीगत अतिक्रमणों को हटाना और पुराने नागरिक मास्टर प्लान को अद्यतन करना स्थायी शहरी लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** शहरी शासन के वैधानिक निकाय, शहरी जल विज्ञान (urban hydrology) के तंत्र, और बारहवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान।
- **मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I और III):** शहरीकरण की चुनौतियाँ, नागरिक बुनियादी ढाँचे की कमी, शहरी बाढ़ के लिए आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल (NDMA दिशानिर्देश), और टिकाऊ महानगरीय नियोजन मॉडल।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

6. सीवेज निगरानी और सघन टीकाकरण: गाजियाबाद पोलियो प्रतिक्रिया

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **पर्यावरणीय निगरानी के माध्यम से पता लगाना:** विजय नगर, गाजियाबाद से एकत्र किए गए सीवेज के नमूने में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) का परीक्षण सकारात्मक (पॉजिटिव) पाया गया, जिससे तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया शुरू हो गई।
- **प्रारंभिक चेतावनी तंत्र:** हालांकि भारत को 2014 में जंगली (वाइल्ड) पोलियोवायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन नैदानिक (क्लीनिकल) मामले सामने आने से पहले मूक संचरण (silent transmissions) का पता लगाने के लिए अपशिष्ट जल (wastewater) का परीक्षण एक महत्वपूर्ण सक्रिय तंत्र के रूप में जारी है।
- **लक्षित सघन अभियान:** इस खोज के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने लक्षित हस्तक्षेप के लिए लगभग 150,000 निवासियों वाले 12 उच्च जोखिम वाले पड़ोसों का नक्शा तैयार करने के लिए जुड़े सीवेज नेटवर्क का पता लगाया।

- **घर-घर जाकर टीकाकरण:** पांच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए पूर्ण ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
- **वैक्सीन हिचकिचाहट पर काबू पाना:** अग्रिम पंक्ति की टीमों को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निर्माण स्थलों पर बंद प्रवासी घर और समुदाय में गहरे बैठी हिचकिचाहट शामिल है, जिसका मुकाबला स्थानीय जागरूकता परामर्श के माध्यम से किया जा रहा है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **पर्यावरणीय निगरानी (Environmental Surveillance):** रोगजनकों (pathogens) की उपस्थिति की निगरानी के लिए सामुदायिक नोड्स से अपशिष्ट जल या सीवेज के नमूनों का नियमित संग्रह और प्रयोगशाला परीक्षण, जो आबादी में सबक्लीनिकल संक्रमण के प्रारंभिक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- **वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV):** पोलियोवायरस का एक दुर्लभ रूप जो समय के साथ ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में मौजूद कमजोर वायरस से आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित (mutated) हो गया है, जो कभी-कभी कम-टीकाकरण वाले या घनी आबादी वाले समुदायों में प्रसारित होता है।
- **सबक्लीनिकल संचरण (Subclinical Transmission):** संक्रमण की एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति बिना किसी ध्यान देने योग्य शारीरिक लक्षण या नैदानिक बीमारी का प्रदर्शन किए किसी रोगजनक को वहन करते हैं और उसका उत्सर्जन करते हैं (जैसे कि नगर पालिका की सीवर लाइन में मल के माध्यम से)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **महामारी रोग अधिनियम, 1897:** जैविक खतरों के दौरान आपातकालीन रोकथाम उपायों को लागू करने, निगरानी तेज करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षण को अनिवार्य करने के लिए राज्य अधिकारियों को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख प्लैगशिप स्वास्थ्य पहल जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रोकथाम योग्य जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना है।
- **संवैधानिक निर्देश:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के अनुरूप, जो स्पष्ट रूप से राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानने का आदेश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शहरी अपशिष्ट जल में उत्परिवर्तित पोलियोवायरस उपभेदों (strains) का पता चलना भारत के पर्यावरणीय निगरानी नेटवर्क की उच्च प्रभावकारिता को प्रदर्शित करता है। हालांकि, पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए केवल मजबूत निगरानी से अधिक की आवश्यकता होती है; यह टीकाकरण के अंतराल को पाटने में पूर्ण निरंतरता की मांग करता है। समुदाय की हिचकिचाहट को दूर करना, अस्थायी प्रवासी कार्यबल पर नज़र रखना और स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना पुराने सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को फिर से उभरने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** वाइल्ड पोलियोवायरस बनाम VDPV की विशेषताएं, ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV) के बीच अंतर, और प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II):** स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे, प्रारंभिक चेतावनी शासन की प्रभावशीलता, और संरचनात्मक वैक्सीन हिचकिचाहट का प्रबंधन।

7. आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण: भारत के नौसैनिक स्टील्थ बेड़े में रणनीतिक वृद्धि

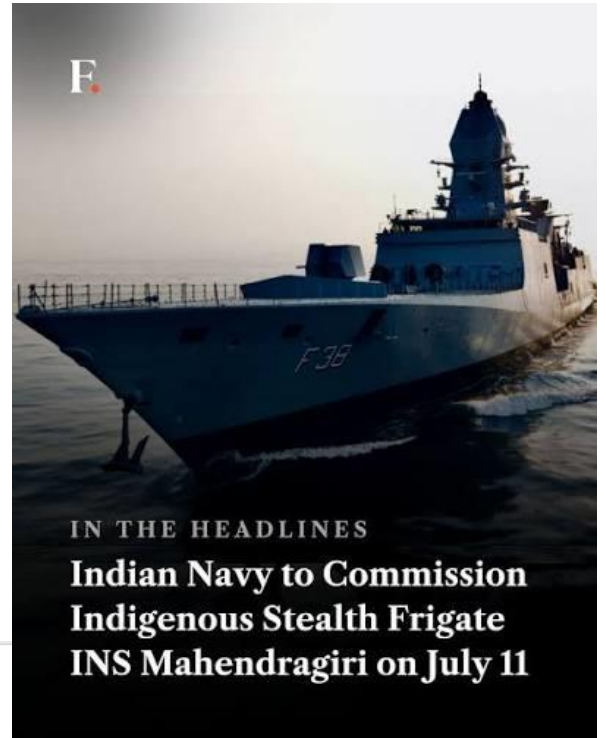
मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- छठा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट:** भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में आईएनएस महेंद्रगिरी (INS Mahendragiri) को सेवा में शामिल करने के लिए तैयार है, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में एक बड़ा मील का पत्थर है।
- स्वदेशी डिजाइन और निर्माण:** नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' द्वारा पूरी तरह से डिजाइन किए गए इस युद्धपोत का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- उन्नत स्टील्थ और स्वचालन:** इस युद्धपोत में उन्नत उत्तरजीविता (survivability), काफी कम रडार सिग्नेचर (radar signature), उच्च स्तर का परिचालन स्वचालन (operational automation), और एक आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन (propulsion) प्रणाली शामिल है।
- बहु-मिशन क्षमताएं:** यह हवाई-रोधी (anti-air), सतह-रोधी (anti-surface) और पनडुब्बी-रोधी (anti-submarine) अभियानों को निष्पादित करने के लिए सुसज्जित है, जो इसे समुद्री सुरक्षा, शक्ति प्रदर्शन, और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR) के लिए बहुमुखी बनाता है।
- घरेलू रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा:** इस फ्रिगेट की 75% से अधिक सामग्री स्वदेशी है, जो कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित भारतीय उद्योगों के एक विशाल नेटवर्क को एकीकृत करती है।
- हिंद-प्रशांत रणनीतिक संदर्भ:** इन उन्नत सतह युद्धपोतों का शामिल होना भारतीय नौसेना के लिए एक बल गुणक (force multiplier) के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करता है और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरी-श्रेणी):** भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की एक अनुवर्ती श्रेणी, जो संरचनात्मक अखंडता को बेहतर बनाने और निर्माण के समय को कम करने के लिए उन्नत मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों का उपयोग करती है।

- **स्टीलथ फ्रिगेट (Stealth Frigate):** एक तेज, अत्यधिक युद्धाभ्यास योग्य (maneuverable) युद्धपोत जिसे ज्यामितीय कोण (geometric angling) और रडार-अवशोषक सामग्रियों के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) को काफी कम किया जा सके, जिससे दुश्मन के सेंसर द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **कंबाइन डीजल और गैस (CODOG):** एक प्रणोदन प्रणाली विन्यास (propulsion system configuration) जो ईंधन-कुशल, लंबी दूरी की कूज़िंग के लिए डीजल इंजनों का उपयोग करता है और उच्च गति के युद्ध संचालन के लिए शक्तिशाली गैस टर्बाइन पर स्विच करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP):** रक्षा हार्डवेयर की खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करने वाला व्यापक वैधानिक ढांचा, जो स्वदेशी डिजाइन और विकास (IDDM) को भारी प्राथमिकता देता है।
- **संवैधानिक आवंटन:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "संघ के नौसेना, सैन्य और वायु बल; समुद्री क्षेत्र; और कोई अन्य सशस्त्र बल" संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि 2 के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार को विशेष विधायी और कार्यकारी नियंत्रण प्रदान करते हैं।
- **प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976:** भारत की समुद्री सीमाओं के भीतर संप्रभु अधिकारों, अधिकार क्षेत्र और सुरक्षा प्रवर्तन दायित्वों को परिभाषित करने वाला मूलभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

आईएनएस महेंद्रगिरी का आगामी जलावतरण उन्नत युद्धपोत डिजाइन और विनिर्माण में भारत की विकसित होती क्षमताओं को दर्शाता है। उच्च स्वदेशीकरण दरों को प्राप्त करके और स्थानीय एमएसएमई को पूंजीगत रक्षा उत्पादन में एकीकृत करके, यह परियोजना हिंद महासागर में एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। सामरिक बढ़त बनाए रखने के लिए त्वरित तैनाती कार्यक्रमों के साथ तकनीकी समावेशन को संतुलित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट की विशिष्टताएं, प्रमुख घरेलू शिपयार्ड (MDL, GRSE), स्वदेशीकरण के घटक, और नौसेना कमांडों का भौगोलिक वितरण।
- **मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक गतिशीलता।

8. तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति व्यक्ति संशोधन का विरोध किया

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- NFSA संशोधन का विरोध:** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधान मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 3 में एक प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का आग्रह किया है।
- प्रति व्यक्ति पात्रता में बदलाव:** केंद्र का प्रस्तावित संशोधन निश्चित घरेलू पात्रता को प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलोग्राम के आवंटन से बदलना चाहता है, जो अधिकतम 35 किलोग्राम की घरेलू सीमा के अधीन होगा।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) पर प्रभाव:** वर्तमान में, AAY परिवार में सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना, सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह समान रूप से 35 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी देती है।
- छोटे परिवारों को दंडित करना:** चूंकि सफल परिवार नियोजन पहलों के कारण तमिलनाडु के औसतन AAY परिवार का आकार 3.54 है, इसलिए प्रति व्यक्ति मॉडल पर जाने से लगभग 70 लाख कमजोर नागरिकों के लिए खाद्यान्न में संरचनात्मक रूप से कमी आएगी।
- संघीय चिंताएं:** राज्य का तर्क है कि यह संशोधन अनजाने में छोटे परिवार के आकार वाले प्रगतिशील दक्षिणी राज्यों को दंडित करता है, जिससे विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए बनाए गए सुरक्षा नेट की बिना शर्त प्रकृति कमजोर होती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** एक ऐतिहासिक कानून जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के तहत भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में से सबसे गरीब लोगों की पहचान करने और उन्हें एक निश्चित घरेलू आधार पर अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना।

- **प्रति व्यक्ति लाभ (Per Capita Benefit):** एक वितरण पद्धति जहां कल्याणकारी आवंटन की गणना पूरे घरेलू इकाई या परिवार के लिए एक समान पात्रता को पूल करने के बजाय कड़ाई से प्रति व्यक्तिगत सदस्य के आधार पर की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **NFSA, 2013 की धारा 3:** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार को परिभाषित करने वाला मुख्य कानूनी प्रावधान।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संवैधानिक संरक्षण के रूप में "भोजन के अधिकार" और भुखमरी से मुक्ति को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार के दायरे का बार-बार विस्तार किया है।
- **अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत):** स्पष्ट रूप से राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक माना जा सके।
- **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची):** "खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य, तथा उनका उत्पादन, आपूर्ति और वितरण" समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आता है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक अभिसरण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

NFSA संशोधन पर बहस सामाजिक सुरक्षा नेट के साथ राजकोषीय लक्ष्यीकरण को संतुलित करने में एक गहरी शासन चुनौती को उजागर करती है। जबकि केंद्र का उद्देश्य श्रेणियों के भीतर की असमानताओं को दूर करना है, एक कठोर प्रति व्यक्ति बदलाव कम सदस्यों वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा को कम करने का जोखिम उठाता है। सहकारी संघवाद को बनाए रखने के लिए, कल्याणकारी मानदंडों को एक ऐसा विरोधाभास बनाने से बचना चाहिए जहां राज्यों को जनसांख्यिकीय और परिवार स्थिरीकरण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित किया जाए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** NFSA 2013 के प्रावधान, AAY के लिए पात्रता मानदंड, और संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक प्रविष्टियां।

NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013

MAJOR KEY POINTS



1. RIGHT TO FOOD

- Recognizes the right of every person to access adequate quantity of quality food at affordable prices.



2. COVERAGE

- Up to 75% of rural population and 50% of urban population are entitled to receive subsidized foodgrains.
- Identified through Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011.



3. ENTITLEMENT

- Eligible persons entitled to receive 5 kg of foodgrains per person per month at subsidized prices.
- Prices: Rice – ₹3/kg, Wheat – ₹2/kg, Coarse Grains – ₹1/kg.



4. SPECIAL PROVISIONS

- Pregnant women entitled to maternity benefit of at least ₹6,000.
- Children (6 months – 6 years) entitled to nutritious meals.
- Lactating mothers entitled to additional nutrition.



5. TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (TPDS)

- Continuation and strengthening of TPDS.
- Fair Price Shops to be established by the State Governments.
- Use of technology for transparency and accountability.



6. ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY

- Grievance Redressal Officer and Appellate Authority at State & District levels.
- Social audits and transparency in implementation.
- Non-availability of foodgrains or denial of entitlements is punishable.



7. LEGAL FRAMEWORK

- Legal entitlement – justiciable in nature.
- States are responsible for implementation.
- Central Government to provide foodgrains to States.



8. OBJECTIVE

- To ensure food and nutritional security in human life cycle approach, especially for the most vulnerable sections.



NOTE: The Act does not cover middle class and higher income groups, who can access food through the market.

- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II): कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, केंद्र-राज्य संबंध, और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संघीय प्रभाव।

9. भारत में मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति: मौलिक बनाम वैधानिक अधिकार

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- विकसित होती संवैधानिक बहस:** मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या इसे इसके लंबे समय से चले आ रहे वैधानिक अधिकार के वर्गीकरण के बजाय एक मौलिक अधिकार के रूप में ऊपर उठाया जाना चाहिए।
- पारंपरिक न्यायिक रुख:** एन.पी. पन्नुस्वामी (1952) से शुरू होकर और कुलदीप नायर (2006) में पुनरीक्षित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह माना है कि चुनाव लड़ने और चुने जाने का अधिकार पूरी तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे संसदीय कानूनों से प्रवाहित होता है।
- मतदान का विरोधाभास:** न्यायपालिका ने धीरे-धीरे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदान के कई आवश्यक पहलुओं को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया है—जैसे कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार (2002), एक सूचित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता (2003), और नोटा (NOTA) के माध्यम से उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार (2013)—फिर भी मतदान का वास्तविक कार्य एक वैधानिक अधिकार बना हुआ है।
- मूल संरचना से विचलन:** हालांकि सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों को संविधान की मूल संरचना (केशवानंद भारती, 1973) का हिस्सा मानता है, लेकिन व्यक्तिगत नागरिक का वोट भाग III के मुख्य मौलिक संरक्षणों से बाहर बना हुआ है।
- मताधिकार का संवैधानिक स्रोत:** अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी पात्र नागरिक का मतदान के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार सामान्य कानून के बजाय सीधे संवैधानिक पाठ से ही उत्पन्न होता है।

Legal Status of Right to Vote in India

The Supreme Court is hearing cases related to electoral rolls, raising debate on the legal nature of the right to vote in India.

Types of Rights in India

- Natural Rights:** Inherent and inalienable (e.g. right to life and liberty).
- Fundamental Rights:** Guaranteed by Part III of the Constitution and enforceable by courts.
- Constitutional Rights:** Explicitly provided in the Constitution but not under Part III (e.g. right to vote under Article 326).
- Statutory Rights:** Granted through laws made by Parliament (e.g. rights under the Representation of the People Act).

Right to Vote

Article 326 of the Constitution provides for universal adult franchise, enabling every citizen aged 18+ to vote without discrimination.

However, eligibility and disqualification (e.g. imprisonment, unsound mind) are governed by the Representation of the People Act, 1950.

Courts have mostly held it as a statutory right, but some judgments suggest it may also have a constitutional status.

Key Judgments

- N.P. Ponnuswami (1952) & Jyoti Basu (1982):** Right to vote is a statutory right.
- P.U.C.L. (2003):** P.V. Reddy held it could be a constitutional right.
- Kuldip Nayar (2006):** Reaffirmed it is only a statutory right.
- Anoop Baranwal (2023):** (Justice Ajay Rastogi's dissent)

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- वैधानिक अधिकार (Statutory Right):** संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा पूरी तरह से निर्मित, परिभाषित और प्रदत्त एक कानूनी अधिकार, जिसे सामान्य विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- मौलिक अधिकार (Fundamental Right):** भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत एक मुख्य संवैधानिक अधिकार जो सामान्य विधायी हस्तक्षेप से मुक्त है, और अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के माध्यम से सीधे लागू करने योग्य है।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage):** एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे लिंग, नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अंतर्निहित अधिकार है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 326:** आदेश देता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, जो मताधिकार के संवैधानिक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचना, मतपत्र की गोपनीयता, और नोटा के माध्यम से राजनीतिक अभिव्यक्ति जैसे चुनावी पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** मुख्य वैधानिक उपकरण जो अनुच्छेद 326 को संचालित करता है, मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए प्रक्रियात्मक तंत्र, योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

मतदान को केवल एक वैधानिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत करना आधुनिक न्यायिक न्यायशास्त्र के खिलाफ एक अडिग विरोधाभास पैदा करता है। हालांकि संसद को मतदाता सूची और आयु सीमा जैसे प्रक्रियात्मक विवरणों को विनियमित करने की शक्ति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि को चुनने का मुख्य अधिकार लोकप्रिय संप्रभुता (popular sovereignty) का आधार बनता है। इस सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है; एक संवैधानिक ढांचे में जहां लोकतंत्र मूल संरचना का निर्माण करता है, मतपत्र को एक माध्यमिक विधायी विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** अनुच्छेद 326 के प्रावधान, मुख्य निर्णय (ADR मामला, PUCL मामला, NOTA मामला), और 1950 तथा 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों के तहत वैधानिक मानदंड।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II):** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, मूल संरचना सिद्धांत का विकास, मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या, और भारतीय चुनावी शासन में संरचनात्मक चुनौतियां।

10. वैश्विक एआई (AI) शासन में भारत की भू-राजनीतिक दुविधा और नेतृत्व की क्षमता

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ग्लोबल साउथ से मिडल पावर (मध्यम शक्ति) की ओर झुकाव:** 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की मेजबानी करते हुए, भारत ने मूल रूप से ग्लोबल साउथ (Global South) की प्रासंगिक वास्तविकताओं और

वास्तविक दुनिया के नुकसानों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन बाद में घरेलू पूंजी को आकर्षित करने और एआई को अपनाने में तेजी लाने के लिए "मिडल पावर" (मध्यम शक्ति) विमर्श की ओर रुख कर लिया।

- पैक्स सिलिका (Pax Silica) के साथ तालमेल:** अमेरिका के प्रभुत्व वाले सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल (पैक्स सिलिका) में शामिल होकर, भारत ने पश्चिमी तकनीकी एकाधिकार के साथ रणनीतिक तालमेल का संकेत दिया, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) की पारंपरिक खोज के साथ समझौता हुआ।
- बिग टेक (Big Tech) पर निर्भरता का जोखिम:** विदेशी तकनीकी बुनियादी ढांचे पर भारी निर्भरता से यह डर पैदा होता है कि भारत और ग्लोबल साउथ केवल संसाधन निष्कर्षण (resource extraction) के स्थल बनकर रह सकते हैं—जो डेटा, भूमि, पानी और सस्ते डेटा-लेबलिंग श्रम की आपूर्ति करेंगे—जबकि पूरा मुनाफा अमेरिकी बिग टेक कंपनियों के पास चला जाएगा।
- घरेलू बाहरी कारक और स्थानीय विरोध:** डेटा सेंटर परियोजनाओं में तेजी लाने के कारण सामुदायिक विस्थापन और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसे विदेशी निगमों को सार्वजनिक और स्वदेशी ज्ञान डेटासेट को स्कैप (निकालने) करने से रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की कमी ने और उजागर किया है।
- धीमा मौलिक नवाचार:** कम मूल्य वाले सेमीकंडक्टर असेंबली और स्थानीयकृत उपयोग के मामलों पर भारी जोर देने के बावजूद, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी मूलभूत मॉडल (foundational models) बनाने के लिए आवश्यक भारी पूंजी की कमी के कारण भारत का मौलिक एआई नवाचार धीमा बना हुआ है।
- संयुक्त राष्ट्र जिनेवा संवाद का अवसर:** जिनेवा में एआई पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संवाद (जुलाई 2026) भारत को अपनी नेतृत्व की स्थिति पर फिर से दावा करने, और संप्रभु बहुपक्षीय नियम स्थापित करने के लिए एक खंडित ग्लोबल साउथ गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- पैक्स सिलिका (Pax Silica):** संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभुत्व वाला एक भू-राजनीतिक और औद्योगिक गठबंधन ढांचा, जिसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और हार्डवेयर विनिर्माण को सुरक्षित, नियंत्रित और विनियमित करना है।
- मिडल पावर दुविधा (Middle Power Dilemma):** एक रणनीतिक विरोधाभास जहां एक विकासशील राष्ट्र आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ संरेखित होने की आकांक्षा रखता है, फिर भी औपनिवेशिक इतिहास और कम प्रति व्यक्ति संकेतकों के कारण दृढ़ता से ग्लोबल साउथ से जुड़ा रहता है।
- फाउंडेशनल एआई मॉडल (Foundational AI Models):** विशाल मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित बड़े पैमाने के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो आधुनिक एआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** नीति (NITI) आयोग का नीतिगत रोडमैप जो #AIforAll (सभी के लिए एआई) दर्शन पर केंद्रित है, जिसे मूल रूप से सामाजिक समावेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के परिवर्तन के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा, जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि फाउंडेशनल मॉडलों द्वारा घरेलू डेटासेट को कैसे स्कैप, संसाधित और उपयोग किया जाता है।
- **संवैधानिक निर्देश:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 के अनुरूप है, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का आदेश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पैक्स सिलिका गठबंधन की ओर भारत का रणनीतिक झुकाव देश को विदेशी मूलभूत प्रणालियों पर निर्भर उपभोक्ता बाजार में बदलने का जोखिम उठाता है। डेटा उपनिवेशवाद (data colonialism) को कम करने के लिए, भारत को अपने घरेलू बाजार की आकांक्षाओं को एक भू-राजनीतिक पुल के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका के साथ संतुलित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जिनेवा संवाद जैसे बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक नेतृत्व को फिर से स्थापित करके भारत एक लोकतांत्रिक एआई ढांचे का समर्थन कर सकता है जो सार्वजनिक उद्देश्यों की रक्षा करता है, संसाधन निष्कर्षण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, और ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन (ब्लेचली पार्क, सियोल, पेरिस), एआई शासन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद, और डीपीडीपी (DPDP) अधिनियम जैसे घरेलू नियामक ढांचे।
- **मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II और III):** विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, वैज्ञानिक स्वदेशीकरण, रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौतियाँ, और बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव।

11. कमजोर मानसून का दृष्टिकोण और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके संरचनात्मक जोखिम

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **मानसून की कमी और सामान्य से कम का पूर्वानुमान:** जून में 40% की गंभीर बारिश की कमी के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जुलाई के लिए सामान्य से कम वर्षा का अनुमान लगाया है, जिससे संभावित "सुपर" अल नीनो (Super El Nino) का जोखिम बढ़ गया है।
- **तिहरा आर्थिक प्रभाव:** कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम करके, ग्रामीण आय को घटाकर समग्र मांग को प्रभावित करके, और खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) को बढ़ाकर सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।
- **फसल पैटर्न में बदलाव:** पानी का तनाव फसलों के चयन को बदल रहा है; जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे अच्छी सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान के रकबे का विस्तार हो रहा है, वर्षा आधारित मक्का और सब्जियों के रकबे में गिरावट आ रही है क्योंकि किसान कम पानी वाली दालों को पसंद कर रहे हैं।

- **व्यापक व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) प्रभाव:** कृषि आय में कमी से निर्माण जैसे गैर-कृषि ग्रामीण क्षेत्र सिकुड़ जाते हैं, जिससे मुख्य उपभोक्ता उद्योग, ट्रैक्टर बिक्री और दोपहिया वाहन बाजार तुरंत प्रभावित होते हैं, जो जीडीपी (GDP) विकास दर को 20-65 आधार अंक (basis points) तक कम कर सकता है।
- **राजकोषीय दबाव और आपूर्ति संबंधी बाधाएं:** बाहरी भू-राजनीतिक आपूर्ति झटकों के साथ मिलकर, सरकार ने खरीफ उर्वरकों के लिए 41,533 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy) को मंजूरी दी। यदि फसलें विफल होती हैं, तो कमी वाली वस्तुओं का आयात चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ाएगा और रुपये पर दबाव डालेगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सुपर अल नीनो (Super El Nino):** एक चरम जलवायु पैटर्न जो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के अत्यधिक, लंबे समय तक गर्म होने की विशेषता है, जो भारत में गंभीर मानसून विफलताओं और सूखे से गहराई से जुड़ा हुआ है।
- **सकल मूल्य वर्धित (GVA):** एक आर्थिक मीट्रिक जो किसी व्यक्तिगत क्षेत्र (जैसे कृषि) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, जो करें और सब्सिडी से पहले अर्थव्यवस्था में इसके प्रत्यक्ष संरचनात्मक योगदान को दर्शाता है।
- **एक्स-एंटी (Ex-Ante) जोखिम न्यूनीकरण:** आपदा प्रबंधन का एक सक्रिय दृष्टिकोण जो फसल बीमा जैसे बाद के मुआवजे (ex-post compensation) पर निर्भर रहने के बजाय, पहले से ही संरचनात्मक निवारक निवेश (जैसे सिंचाई और सूखा-प्रतिरोधी बीज) को लागू करने पर केंद्रित है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** कृषि कमी के दौरान जमाखोरी को रोकने और खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार को खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** 315 कमजोर, सूखा प्रवण जिलों में वित्तीय राहत पैकेजों के मूल्यांकन, शमन और प्रणालीगत कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **संवैधानिक आवंटन:** सातवीं अनुसूची के तहत, "कृषि" मुख्य रूप से राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 14 के तहत एक राज्य का विषय है, जबकि "अंतर-राज्यीय नदियाँ और नदी घाटियाँ" तथा प्रमुख मूल्य-स्थिरीकरण हस्तक्षेप संघ सूची (सूची I) और समवर्ती सूची (सूची III) के ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए सहकारी संघीय योजना की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की वर्तमान कृषि बफर स्थिति जलवायु झटकों के प्रति इसके विशाल ग्रामीण कार्यबल की प्रणालीगत संवेदनशीलता को छिपा नहीं सकती है। लगातार अल नीनो की घटनाओं के खिलाफ फसल बीमा जैसे बाद के (ex-post) तंत्रों पर पूरी तरह भरोसा करना एक अपर्याप्त बचाव है। वास्तविक आर्थिक लचीलेपन के लिए सूखा-रोधी उपायों, व्यापक नहर नेटवर्कों में सार्वजनिक पूंजी निवेश को तेज करने और दीर्घकालिक ऊर्जा, खाद्य तथा राजकोषीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- प्रारंभिक परीक्षा:** भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून का स्थानिक वितरण, वर्षा की कमी की मौसम संबंधी परिभाषाएं, अल नीनो की कार्यप्रणाली, और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के परिचालन दिशानिर्देश।
- मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I और III):** प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन, कृषि फसल पैटर्न, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, मुद्रास्फीति प्रबंधन, और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर जलवायु परिवर्तन के राजकोषीय प्रभाव।

12. कानूनी प्रतिनिधित्व का बहिष्कार करने वाले बार एसोसिएशन के प्रस्तावों की वैधता**मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)**

- बार बहिष्कार विवाद:** अयोध्या राम मंदिर गबन मामले में आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व देने से इनकार करने के फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रस्ताव ने सामूहिक कानूनी बहिष्कारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न को फिर से जीवित कर दिया है।
- न्यायिक अमान्यकरण:** ए.एस. मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट आरोपी व्यक्तियों का बहिष्कार करने वाले सभी बार एसोसिएशन के प्रस्तावों को पूरी तरह से अवैध, अमान्य, शून्य और पेशेवर नैतिकता के खिलाफ घोषित किया था।
- व्यक्तिगत बनाम सामूहिक स्वायत्तता:** हालांकि व्यक्तिगत वकील विशेष व्यक्तिगत परिस्थितियों में किसी केस (brief) को लेने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय (कुलदीप अग्रवाल, 2019) ने स्पष्ट किया कि इस विवेक का उपयोग बार एसोसिएशन द्वारा सामूहिक रूप से पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- "पूर्ण उग्रवाद" के उदाहरण:** स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के बावजूद, बार निकायों ने ऐतिहासिक रूप से हाई-प्रोफाइल मामलों में बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे कि 2008 के मुंबई हमले (अजमल कसाब) और 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा "पूर्ण उग्रवाद" (sheer militancy) के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो आपराधिक अवमानना के समान हो सकता है।
- निष्पक्ष सुनवाई का मूल सिद्धांत:** मद्रास उच्च न्यायालय (मणिकंदन नायर, 2025) और सर्वोच्च न्यायालय (जे. जयललिता, 2014) ने दोहराया है कि आरोपी, पीड़ित और समाज के हितों की एक साथ रक्षा करने के लिए प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- बार एसोसिएशन (Bar Association):** कानूनी अधिवक्ताओं का एक पेशेवर निकाय जो एक विशिष्ट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अभ्यास करने वाले वकीलों के कल्याण, प्रशासनिक समन्वय और पेशेवर मानकों की देखरेख करता है।
- परामर्श/वकील का अधिकार (Right to Counsel):** एक मौलिक संवैधानिक गारंटी जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के योग्य कानूनी पेशेवर द्वारा सलाह प्राप्त करने और बचाव करने का अधिकार है।
- ब्रीफ सिस्टम (Brief System):** बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत एक पेशेवर परंपरा, जहां किसी अदालत में अभ्यास करने वाला वकील आम तौर पर एक मानक शुल्क पर किसी भी मामले को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, जिससे बिना किसी पूर्वाग्रह के न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होती है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 22(1):** गारंटी देता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उन्हें अपनी पसंद के कानूनी पेशेवर से परामर्श करने और उनके द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है, जिसे अनुच्छेद 14 द्वारा पूरक किया जाता है जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 39A (DPSP):** समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रणाली के संचालन को सुरक्षित करने का निर्देश राज्य को देता है, विशेष रूप से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम (पेशेवर आचरण के मानक):** वकीलों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम, जो यह आदेश देते हैं कि जहां व्यक्तिगत वकील स्पष्ट व्यक्तिगत बाधाओं के तहत केस को अस्वीकार कर सकते हैं, वहीं बार निकाय द्वारा सामूहिक संस्थागत जबरदस्ती प्रतिबंधित है।

निष्कर्ष (Conclusion)

विशिष्ट आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने से इनकार करने वाले बार एसोसिएशनों के सामूहिक प्रस्ताव कानून के शासन के मूलभूत स्तंभों को कमजोर करते हैं। यदि संस्थागत बहिष्कारों के माध्यम से आरोपी को पेशेवर बचाव से व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है, तो सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती। हालांकि जघन्य अपराधों के प्रति जनता का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन कानूनी बिरादरी को यह सुनिश्चित करके संस्थागत अखंडता को बनाए रखना चाहिए कि वकील का संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रहे, जिससे केवल न्यायपालिका ही दोष का निर्धारण कर सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **प्रारंभिक परीक्षा:** भाग III (अनुच्छेद 14, 21, 22) और भाग IV (अनुच्छेद 39A) के तहत संवैधानिक प्रावधान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका और नियामक शक्तियां, तथा निष्पक्ष सुनवाई पर ऐतिहासिक निर्णय।
- **मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II):** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, नियमित आपराधिक प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, मौलिक मानव अधिकारों का संरक्षण, और संवैधानिक कर्ताओं के नैतिक दायित्व।

